भाग– ।।

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या–

5	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(।)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(।।)	जिला	सोनभद्र
(।।।)	वन प्रभाग	रेनुकूट
(IV)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	3.79 हे.
(V)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन (रखात वन /धारा–4)
(VI)	हरियाली का घनत्व	0.2
(VII)	अखंडित क्षेत्र में वृक्षो की संख्या प्रजातिवार(वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणी–वार	अखंडित क्षेत्र में पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन पूर्व से निर्मित है ।
(VIII)	क्या यह राश्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ तो, क्षेत्र का ब्यौरा और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां संलग्न करें)	नही
6	क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है (हॅ/नही) यदि हॉ तो, किये गये कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही सहित ब्यौरा दें । उल्लंघन करते हुए कार्य अभी भी चल रहे है।	उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16.01.1996 के शर्त संख्या–1 का उल्लंघन किया गया है जिसका विवरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–135 पर संलग्न है ।
7	पूर्व अनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तो के अनुपालन की स्थिति के संबंध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट(संलग्न की जानी है)	संलग्न है ।
8	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
(।)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6788.00 वर्ग कि.मी.(678800 हे0)
(।।)	जिले का वन क्षेत्र	3782.86 वर्ग कि.मी.(378286 हे0)
(।।।)	1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेतर उपयोग मामलों की संख्या के साथ	30 मामले 2968.6151 हे.
(IV)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित	2206 +133.2994 = 2339.2994 हे0

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

	कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर	
(क)	दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वन भूमि	2206.00 हे.
(ख)	वनेतर भूमि पर	133.2994 हे.
9	कारणो सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप संरक्षक की विशेष सिफारिशें ।	रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को भारत सरकार के पत्र संख्या–08बी/09/324/92/एफ.सी.–सी.–407, दिनांक–23.05.1995 एवं इसके कम में अनु सचिव उ.प्र. शासन का आदेश संख्या– जी.आई. 159/14–2--95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा पम्प हाउस, पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु 3.79 हे. वन भूमि 25 वर्षो हेतु लीज पर हस्तान्तरित की गयी, जिसकी लीज अवधि दिनांक– 31.03.2013 को समाप्त होने के पूर्व ही दिनांक– 16.04.2011 को मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट एवं मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. के मध्य विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट से संबंधित समस्त सम्पत्ति/लीज की भूमि को मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि. रेनुकूट को उक्त प्रयोजन हेतु बिकी/हस्तान्तरण के आधार पर दे दिया जाय । उक्त निर्णय के उपरान्त प्रश्नगत 3.79 हे. वन भूमि का उपयोग समान प्रयोजन हेतु मे. आदित्य बिड़ला केमिकल्स (इण्डिया) लि. रेनुकूट द्वारा करते हुए नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । उक्त नवीनीकरण प्रस्ताव के उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन रहते हुए मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लि0 तथा मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड एवं म0प्र0 के समक्ष **Amalgamation** रिट याचिका दाखिल किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किये गये रिट याचिकाओ की सुनवायी माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड एवं मध्य प्रदेश द्वारा करते हुए दिनांक–24.11.2015 व 09.10.2015 को आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के उपरान्त प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा समान प्रयोजन हेतु किया जा रहा है । चुकी प्रश्नगत वन भूमि पर पूर्व से पम्प हाउस,पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन निर्मित है जिसको की मे. ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को मूल प्रयोजन

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र

4

		हेतु ही आवश्यकता है । यहाँ यह उल्लेख करना है कि मे0 कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा प्रश्नगत वन भूमि को मे0 आदित्य बिड़ला केमिकल्स इण्डिया लि0/मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 के पक्ष में **<u>हस्तान्तरण से पूर्व उ0प्र0 शासन से अनुमति प्राप्त किया जाना चाहिए था जो की नही किया गया</u>** । चुँकी प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट द्वारा **<u>समान प्रयोजन हेतु किया जा रहा है</u>** । अतः प्रश्नत प्रकरण मे उ0प्र0 शासन के शर्त संख्या– 1 का उल्लंधन किये जाने के कारण उल्लंधन सहित नियमानुसार स्वीकृति प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है ।

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

दिनांकः–22.04.2022
स्थानः–रेनुकूट

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट-सोनभद्र